भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2484
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान अवसंरचना संवर्धन योजना

†2484. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में अनुमोदित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान अवसंरचना संवर्धन योजना का ब्यौरा क्या है;
(ख) लागू नए आपराधिक कानूनों के संदर्भ में यह योजना किस प्रकार प्रासंगिक है और इसका ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय न्यायालयिक अवसंरचना स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) सरकार द्वारा दिनांक 19.06.2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ "राष्ट्रीय न्यायालयिक अवसंरचना में वृद्धि हेतु योजना (एन.एफ.आई.ई.एस.)" को मंजूरी दी गई है। यह योजना न्यायालयिक परीक्षण अवसंरचना में वृद्धि करेगी, न्यायालयिक पेशेवरों की कमी को दूर करेगी और देश में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में मामलों की जांच में तेजी लाएगी। इस योजना के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एन.एफ.एस.यू) के 09 ऑफ-कैंपस, 07 केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापाना और एन.एफ.एस.यू. के दिल्ली परिसर की मौजूदा अवसंरचना में वृद्धि शामिल है।

(ख) नए आपराधिक कानूनों के अधिनियम के साथ, जो 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए न्यायालयिक जांच को अनिवार्य बनाता है, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय न्यायालयिक अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश और वृद्धि अनिवार्य है। राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त ऑफ-कैंपस और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी को दूर करने, न्यायलयिक प्रयोगशालाओं के केस भार/लंबित मामलों को कम करने और 90% से अधिक की उच्च दोषसिद्धि दर हासिल करने के भारत सरकार के लक्ष्य के साथ संरेखित करने हेतु आवश्यक है।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा अगरतला (त्रिपुरा) में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के एक ऑफ-कैंपस की स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। स्थायी कैंपस के निर्माण तक, उक्त कैंपस एक अस्थायी कैंपस से परिचालित किया जा रहा है।

****